राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग
परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर राजस्थान

क्रमांकः एफ 12(09)/पार्ट–II/परि/सांख्य/2012/21698 जयपुर,दिनांकः3/10/16

कार्यालय आदेश 36/2016

विभाग के कंप्यूटरीकरण का कार्य सुचारु रुप से संचालित किये जाने के लिए निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं–

1. विभाग में किसी भी परियोजना/कार्य के लिए आवश्यक तकनीकी उपकरणों को क्रय किये जाने की कार्यवाही अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.), वित्तीय सलाहकार एवं भंडार शाखा के स्तर पर की जावे। IT शाखा द्वारा इस संबंध में केवल तकनीकी स्पेसिफिकेशन आवश्यकतानुसार उपलब्ध करवाये जावें।
2. क्रय किये गये तकनीकी उपकरणों के एवज में प्राप्त बिलों के भुगतान की समस्त कार्यवाही जिसमें बिलों की जांच, गणना, सत्यापन एवं भुगतान स्वीकृति जारी किया जाना सम्मिलित है IT शाखा के स्थान पर लेखा शाखा द्वारा किया जावे।
3. परिवहन कार्यालयों से जारी किये जाने वाले स्मार्ट कार्ड के एवज में NICSI को किये जाने वाले भुगतान की समस्त कार्यवाही जिसमें बिलों की जांच, गणना, सत्यापन एवं भुगतान स्वीकृति जारी किया जाना सम्मिलित है IT शाखा के स्थान पर लेखा शाखा द्वारा किया जावे।
4. समस्त प्रादेशिक एवं जिला परिवहन अधिकारी उनके कार्यालय से जारी स्मार्ट कार्ड के विरुद्ध सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत बिलों (जिन्हे उनके द्वारा सत्यापित किया जाता है) की एक प्रति वित्तिय सलाहकार को भी प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही बिलों के सत्यापन में सेवा प्रदाता फर्म द्वारा यदि किसी कारणवश सेवा बाधित रही है तो उसका विवरण भी साथ प्रेषित किया जावे।

उक्त आदेशों की अक्षरक्षः पालना सुनिश्चित की जावे।

शैलेन्द्र अग्रवाल
(परिवहन आयुक्त एवं
प्रमुख शासन सचिव)

क्रमांकः एफ 12(09)पार्ट–II/परि/सांख्य/2012/21699-21703 जयपुर, दिनांकः–3/10/16

प्रतिलिपिः

1. निजी सहायक, परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव।
2. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण ....।
3. समस्त प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी....................................।
4. श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (IT)

E:\SA\Letters & Notesheet\SA_UO_NOTE_2016_ashish.docx